

MR. DEPUTY-SPEAKER : Privilege against Shri Sankranand is also under consideration. Everything is under consideration. Do not worry. Now, we will take up matters under Rule 377. Shri Dault Ram Saran.

12.45 hrs.

MATTERS UNDER RULE— 377

(i) FIRING RANGE REQUIRED BY
MINISTRY OF DEFENCE IN
BIKANER RAJASTHAN.

SHRI DAULAT RAM SARAN
(Ghuru): rose:—

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is your own member. If you want to read a statement under rule 377 and he goes on talking, how will you feel? It is very bad. I am so sorry. Please do not record anything except the statement under rule 377.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You do not want to allow him to read the statement under rule 377? Please take your seats. Do not record anything beyond what I allow.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : You may read the statement from the beginning again.

श्री दौलत राम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

रक्षा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार से बीकानेर जिले में तोपखाना के अभ्यास हेतु फील्ड फायरिंग एरिया सुरक्षित कराने की मांग की गई है। रक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में लूणकरणसर तहसील के 34 ग्राम और उनका रक्बा आता है जो राजस्थान

मुख्य नहर और राजस्थान लिफ्ट नहर के मध्य स्थित है।

इन 34 गांवों की जन संख्या तीस हजार है और दोनों नहरों के मध्य सिचाई करने योग्य उपजाऊ कृषि भूमि है। बढ़िया नस्ल के दुधारू पशुओं और दूध उत्पादन के कारण यह क्षेत्र राजस्थान का डैनमार्क कहलाता है। इस क्षेत्र में बढ़िया राठी नस्ल की दुधारू गायों की संख्या करीब एक लाख पच्चीस हजार है जहां से बीकानेर सहकारी डेयरी का कुल दूध का लगभग पच्चीस प्रतिशत जाता है। अच्छी नस्ल की ढाई लाख भेड़ें इस क्षेत्र में हैं जिनकी बढ़िया ऊन बीकानेर की मंडी को मिलती है। करीब पचास हजार अच्छी नस्ल के ऊट इस क्षेत्र में हैं। इसके अलावा भैंस और अन्य पशु हैं। सैकड़ों वर्षों से इन गांवों के निवासियों ने इस क्षेत्र को आबाद करके विकसित किया है।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख कर राजस्थान सरकार द्वारा उक्त भूमि सुरक्षित करने के विषय में सम्मति हेतु 28 नवम्बर 1979 को राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास आयुक्त श्री तेज कुमार की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने इन 34 गांवों के क्षेत्र को तोपखाना अभ्यासार्थ देने का उपयुक्त नहीं बताया था। परन्तु राज्यपाल के शासन काल में जिलाधीश बीकानेर ने बिना पूरी जानकारी किए ही इस क्षेत्र को फील्ड फायरिंग क्षेत्र के लिए देने की सिफारिश कर दी। उसी के आधार पर अब इन 34 गांवों के क्षेत्र को रक्षा विभाग ले रहा है। गत कई वर्षों में इस क्षेत्र में मनमाने तौर पर फायरिंग का अभ्यास किया जाता रहा है और उसमें अनेक व्यक्ति, पशु दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन गांवों के निवासियों को जन धन की भारी हानि उठानी पड़ी है। इन गांवों की जनता बुरी तरह आतंकित और अस्थिर स्थिति में है। उनका विकास रुका

हुआ है। वे अनेक प्रार्थना पत्र प्रतिवेदन दे चुके हैं। स्थानीय जन प्रतिनिधि संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों ने भी इन्हें इन गांवों से नहीं हटाने के लिए और इन गांवों का रकबा नहीं लेने के लिए बराबर निवेदन किया है। लूणकरणसर तहसील के 34 गांवों के स्थान पर बीकानेर और कोलायत तहसील का उनके समीप कुछ ही दूरी पर नहरी क्षेत्र से बाहर उतना कम आवादी वाला ही ऐसा बरानी रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस उद्देश्य के लिए उस जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है।

मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान सरकार के साथ सम्पर्क करके रक्षा विभाग की ओर से उपरोक्त मुद्दाओं के आधार पर निर्णय करके पीड़ितों को राहत दी जाएगी और सही समाधान किया जाएगा जिससे जन धन की हानि और उत्पादक क्षेत्र को नुकसान से बचाया जा सकेगा।

(ii) PERMISSION TO A PRIVATE BUSINESS CONCERN IN ORISSA TO HAVE ITS OWN CAPTIVE POWER PLANT

SHRI CHINTMANI PANIGRAHI (BHUBANESWAR) :

A private business concern of Orissa has been allowed by the Union Energy Ministry to have its own captive power plant at Rayagada in Orissa. Its requirement of power is only 18 to 20 MW per day. This firm was taking power all these years from the Orissa State Electricity Board at the most concessional rate of 3.5 paise per unit when the actual cost per units was approximately more than 22 paise per unit. Even then the arrear of this firm stands at Rs. 6 crores and this firm is constantly engaged in law suits against the Board. This is really surprising that in the context of all these records the Union Government is allowing this firm to erect its own captive power plant and again as a joint venture. I urge upon the Union Government to immediately stop this permission as this will open the floodgate to all the business houses for seeking

permission to erect their own captive power plants which will negate the spirit of the Industrial Policy Resolution and shall greatly hamper the functioning of the State Electricity Boards.

(iii) EXTRA SUGAR TO CONSUMERS ON THE EVE OF DEWALI FESTIVAL

श्री रण बीर सिंह (केसरगंज) :
उपाध्यक्ष महोदय, पिछले ईद के पवित्र त्यौहार पर हमारे मुसलमान भाईयों को अतिरिक्त शक्कर देकर प्रशानन ने जो उदारता दिखाई, उसके लिये वह बधाई की पात्र है। इससे प्रशासन ने त्यौहारों के प्रति उदार नीति से एक सुन्दर एवं स्वस्थ छाप छोड़ी है। इसकी सभी ने सराहना की है।

इस विषय में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी राज्यों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि इसी प्रकार की उदारता वह अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर भी करते जो अन्य धर्मों से संबंधित हैं ताकि हमारी धर्म-निरपेक्षता में किसी प्रकार की आंच न आने पावे और अन्य धर्मावलम्बी अपने को उपेक्षित न समझें। दिवाली के पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था का स्वागत सर्वत्र होगा।

(iv) CONSTRUCTION OF A NEW RAILWAY LINE BETWEEN SHAHJAHANPUR AND MAILANI

SHRI JITENDRA PRASAD (SHAHJAHANPUR) : A decision was taken by the Railway Board in 1971 approximately that the Railway lines which were dismantled during the First and the Second World War will be given priority for relaying them whenever construction of new Railway lines is considered. Several Railway lines in the country have been reconstructed in accordance with the above decision. But a constant demand since the last fifteen years has been voiced by the residents of District Shahjahanpur for reconstruction of the Railway